न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–24 / 2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
शिवलाल पुत्र श्री अन्नाराम, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम फिटकासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर		01.हरलाल पुत्र श्री मंगलारामजी, 02.थानाराम पुत्र श्री मंगलारामजी, जातियान विश्नोई, निवासीगण भाकर की ढाणी, माताजी के मन्दिर के पास, ग्राम गुड़ा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी संख्या एक से दो की और से अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई ।
3. अप्रार्थी संख्या तीन की और से राजकीय अभिभाषक ।

आदेश

दिनांक :– 10/5/2022

पत्रावली में बहस सुनी गयी । पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम बिड़ासनी, तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 12 रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा, आयी हुई स्थित हैं । उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार के काबिज हैं । प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के उत्तर दिशा की तरफ अप्रार्थीगण संख्या एक एवं दो की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 32 की कुल रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं तथा पूर्व दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित हैं । पूर्व दिशा की तरफ स्थित कटाणी रास्ते से प्रार्थी के खेत में आने हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं हैं । प्रार्थी अप्रार्थीगण की सहमती से उनके खेत में से अपने कृषि साधन लेकर जाता था लेकिन इस वर्ष सूड़ करने हेतु अपने खेत में जाने लगा तो अप्रार्थीगण संख्या एक एवं दो ने प्रार्थीगण को यह कहते हुए अपने खेत में से जाने से रोक दिया कि अप्रार्थीगण के खेत में से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु रास्ता कटाण नहीं हैं । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि खसरा संख्या ग्यारह की माठ के सहारे सहारे रास्ता कटाण करवा दिया जावें एवं उसके बदले में उचित प्रतिफल राशि ले लेवें लेकिन अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से भी साफ इन्कार कर दिया । प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ही नहीं हैं इस कारण से प्रार्थी को कृषि कार्यो से वंचित रहना पड़ रहा हैं एवं रास्ते के अभाव में खेती भी नहीं कर पा रहा हैं । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 32 की कृषि भूमि में से चाहे गये कटाणी रास्ते से अपने खेत में जाने हेतु रास्ते का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा हैं जिसे ए से बी मार्क कर दर्शाया गया हैं उक्त रास्ता 20 फुट की चौड़ाई में उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

हैं । प्रार्थी के खेत में जाने यह यह प्रस्तावित रास्ता ही कटाणी रास्ते से सबसे लघुतम एवं निकटतम हैं । वर्तमान में प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु किसी प्रकार का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं । प्रस्तावित रास्ते के बदले में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि अदा करने हेतु तैयार हैं । अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं कटाणी रास्ते से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 12 में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शें अनुसार खसरा संख्या 32 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 32 में से मार्क ए से बी 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश पारित फरमावें । प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तैयार हैं । अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो अता फरमाया जावें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण संख्या एक से दो की और से अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा उनकी तरफ से जवाब भी पेश किया गया । जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया । तहसीलदार लूणी से इस प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी जो कि जरिये क्रमांक/भू.अ./2022/1253 दिनांक 07.03.2022 को प्रेषित की गयी जो कि शामिल मिशल हैं ।

प्रकरण में बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया इसके विपरित अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया । 251 ए प्रार्थना पत्र में मूल रूप से ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाना चाहिये कि वांछित रास्ता सबसे लघुतम हैं अथवा नहीं, दूसरा यह कि वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं अथवा नहीं । उक्त दोनो ही बिन्दुओं के सम्बन्ध में तहसीलदार लूणी द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी हैं जिसमें यह बतलाया गया हैं कि वांछित रास्ता ही एक मात्र हैं तथा वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा वांछित रास्ता आवश्यक एवं सबसे लघुतम हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 12 में आने जाने हेतु ग्राम बिड़ासनी, तहसील लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

के खसरा संख्या 32 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये ए से बी अनुसार 20 फुट का रास्ता प्रार्थीगण की जोत में आने जाने हेतु उपलब्ध करवाया जाता हैं । खसरा संख्या 32 में से 20 फुट चौड़ाई अनुसार रास्ते की भूमि का रकबा 06 बिस्वा बनता हैं । उक्त रकबे की क्षतिपूर्ति हेतु डीएलसी दर प्रतिबीघा अधिकतम 39,600/– अक्षरें उनचालीस हजार छः सौ रूपयें प्रतिबीघा होने से रकबा 06 बिस्वा की क्षतिपूर्ति राशि रूपयें 11,880/– अक्षरें ग्यारह हजार आंठ सौ अस्सी रूपयें की डी. डी. अप्रार्थीगण संख्या एक से दो के हिस्से अनुसार बनाकर प्रार्थी पेश करें । तदनुसार राजस्व रेकर्ड में तहसीलदार लूणी रास्ते का इन्द्राज करें तथा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

10/05/2022

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी